रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022024-252473
CG-DL-E-28022024-252473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 897] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945
No. 897] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फ़रवरी, 2024

का.आ. 942(अ).—केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के कतिपय प्रावधान, जैसा सारणी के कॉलम संख्या (2) में यथाविनिर्दिष्ट हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में यथास्थिति, वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों पर उक्त तालिका के कॉलम संख्या (3) में विनिर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू होंगे, अर्थात्:

सारणी

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

क्र.सं.	**धारा**	**संशोधन**
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 19 की उप-धारा (2)	धारा 19 में, उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

		(2क) उपधारा (2) में वर्णित किसी बात के बावजूद, उसमें उल्लिखित सीमाएं किसी विदेशी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बैंकिंग एकक पर लागू नहीं होंगी- (क) किसी कंपनी के सामान्य व्यापारिक में दर्ज लेनदेन के लिए, जहां शेयरधारिता प्रतिभूति के माध्यम से धारित की जाती हो, चाहे वह बंधक, गिरवी या किसी अन्य समान तरीके से हो; अथवा (ख) यदि इसके द्वारा देय ऋणों की चुकौती के दौरान शेयरधारिता या प्राप्त ब्याज का निपटान जल्द-से-जल्द, परंतु पांच वर्ष पूरा होने से पहले किया जाए। परन्तु खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है। स्पष्टीकरण- इस उप-धारा और धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ, – (i) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग एकक" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिभाषित वित्तीय संस्थान है; (ii) "विदेशी बैंक" का वही अर्थ होगा जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियमन, 2020 के नियम 2 के उप-नियम 1 के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है।
2.	धारा 20 की उपधारा (1)	धारा 20 में, उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रतिबंध किसी विदेशी बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग एकक द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर लागू नहीं होगा।

[फा. सं. 3/4/2022-ईएम-भाग (5)]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

S.O. 942(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby directs that certain provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as specified in column number (2) of the Table, shall apply with such modifications, as specified in column number (3) of the said Table, to the financial products, financial services or financial institutions, as the case may be, in an International Financial Services Centre, namely:

TABLE

BANKING REGULATION ACT, 1949

Sl.No.	**Section**	**Modifications**
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (2) of section 19	In section 19, after sub-section (2), the following subsection shall be inserted, namely:-

		'(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the limits mentioned therein shall not apply to an International Financial Services Centres Banking Unit of a Foreign Bank- (a) for a transaction entered in the ordinary course of business in respect of a company where the shareholding is held by way of security, whether as a pledge, mortgage or by any other similar mode; or (b) if the shareholding or interest acquired or held in the course of satisfaction of debts due to it, is disposed of at the earliest but not later than five years: Provided that the period of five years referred to in clause (b) may be extended by the International Financial Services Centres Authority, for reasons to be recorded in writing. Explanation. - For the purposes of this sub-section and sub-section (1) of section 20,- (i) "International Financial Services Centres Banking Unit" means a financial institution defined under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) ; (ii) "Foreign Bank" shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020.'.
2.	Sub-section (1) of section 20	In section 20, after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that the restrictions mentioned in sub-section (1) shall not apply to loans and advances made by an International Financial Services Centres Banking Unit of a Foreign Bank.".

[F. No. 3/4/2022-EM-Part (5)]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.28 22:09:59 +05'30'